सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
वैशाख 13, रविवार, शाके 1942- मई 3, 2020 *Vaisakha 13, Sunday , Saka 1942- May 3, 2020*	

भाग 4 (ग)
उप–खण्ड (I)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)सामान्य कानूनी नियम।

गृह (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, 03, 2020

जी.एस.आर.113 :-राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 1) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, कोविड-19 (कोरोना वाइरस डिजीज 2019) के प्रकोप की रोकथाम करने के लिए व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक या कार्य स्थल पर फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढ़का हो) पहनेगा।
2. कोई भी दुकानदार ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने समुचित रूप से फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ है, किसी भी वस्तु का विक्रय नहीं करेगा।
3. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकेगा।
4. कोई भी व्यक्ति शराब का उपभोग किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेगा।
5. कोई व्यक्ति पान, गुटका, तम्बाकू इत्यादि का विक्रय नहीं करेगा।
6. प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (दूसरे व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) बनाये रखेगा।
7. कोई भी व्यक्ति उप खण्ड मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्रस्तुत लिखित पूर्व सूचना के बिना किसी विवाह से संबंधित समारोह या जमाव आयोजित नहीं करेगा, और यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा कि समारोह के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए और व्यक्तियों की कुल संख्या 50 से अधिक न हो।
8. दाह संस्कार / अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं रहेंगे और सामाजिक दूरी भी सुनिश्चित की जाएगी।
9. कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य प्रकार के सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक समारोह / जमाव का आयोजन नहीं करेगा।

ये विनियम तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि इन्हें प्रतिसंहृत या पुनरीक्षित न कर दिया जाए।

[सं. एफ.9(16)गृह-5/2020]
राज्यपाल के आदेश से,
राजीव स्वरूप,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

Government of Rajasthan
Home (Gr.V) Department
Notification
Jaipur, May 03, 2020

G.S.R.113 :- In exercise of the powers conferred by section 4 of the Rajasthan Epidemic Diseases Ordinance, 2020 (Ordinance No.1 of 2020), the State Government hereby makes the following regulations to be observed by the persons to prevent the outbreak of the COVID-19 (Corona Virus Disease 2019), namely:-

1. Every person shall wear face mask or face cover (nose and mouth covered properly) in public or work place.
2 No shopkeeper shall sell any item to a person who is not wearing face mask or face cover properly.
3. No person shall spit in public place.
4. No person shall consume liquor in any public place.
5. No person shall sell *paan*, *gutka*, tobacco etc.
6. Every person shall maintain social distancing (minimum 6 feet from the other person) in public place.
7. No person shall organize any marriage related function or gathering without prior intimation in writing submitted in the Office of the Sub Divisional Magistrate, and shall also be responsible to ensure that social distancing is maintained throughout the function and that the total number of persons does not exceed 50.
8. There shall not be more than 20 persons at funerals / last rites and social distancing shall be ensured.
9. No person shall organize any other kind of social/ political / sports / entertainment / academic / cultural/ religious function / other gathering.

These regulations shall remain in force till such time that the same are revoked or revised.

[No.F. 9(16)Home-5/2020]

By the order of Governor,
Rajeeva Swarup,
Additional Chief Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.